

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2013-14/4571

जयपुर, दिनांक : 11/5/17

आदेश


राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय 1 के नियम 3 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

नियम-3 (iv) - पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है -

1. किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु 750/- प्रति माह

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161700584 दिनांक 04.05.2017 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा।

  
(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2013-14/4572- 5212 जयपुर, दिनांक : 11/5/17  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
9. उप शासन सचिव, वित्त (नियम अनुभाग)/(व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (IFMS), निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
13. श्री आई.डी. वरियानी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
14. श्री शेखर शुक्ला, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
16. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।
17. एसीपी (पेंशन)/एसीपी (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
19. आदेश पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव